

न्यायालय समाहर्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या- 154/2020

बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम बिनोद कुमार श्रीवास्तव

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
22/01/2021	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>प्रस्तुत उत्पाद वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक-923/म0नि0को0, दिनांक-10.07.2020 से प्राप्त जाले थाना कांड सं0-193/19 दिनांक 22.11.2019 में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम-2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन मोटरसाईकिल रजि0 नं0-BR30A-1084 को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गई। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी वाहन स्वामी बिनोद कुमार श्रीवास्तव, पिता- स्व0 गदाधर प्रसाद, साकिन- आजमगढ़, पो0- लगमा, थाना-डुगरा, जिला- सीतामढ़ी को कारण पृच्छा हेतु दिनांक 11.09.2020 को निबंधित डाक से नोटिस निर्गत किया गया। समुचित अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी वे इस वाद की कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुए और न ही कारण पृच्छा दाखिल किये और न ही भेजा गया नोटिस वापस प्राप्त हुआ। न्यायहित में एक पक्षीय सुनवाई की गई।</p> <p>विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल के गश्ती के क्रम में रेवड़ा शंकर चौक त्रिमुहानी के पास देखा गया कि एक मोटरसाईकिल चालक हरिनगर की तरफ से आ रहा है, जिसके मोटरसाईकिल के कैरियर पर तीन कार्टून बंधा हुआ था, जैसे ही रोकने का प्रयास किया तो वह रेवड़ा की तरफ भागने का प्रयास किया जिसे सहयोगी बल की मदद से पकड़ा गया। तत्पश्चात दो स्वतंत्र साक्षी के समक्ष विधिवत् तलाशी लेने पर उक्त वाहन के कैरियर पर बाँधा हुआ 03 (तीन) कार्टून को खोलकर चेक किया गया तो उसमें से 02 (दो) कार्टून में रॉयल जेनरल 180 एम0एल0 का 96 बोतल अंग्रेजी शराब तथा 01 (एक) कार्टून में इम्पेरियल ब्लू 375 एम0एल0 का 24 बोतल अंग्रेजी शराब कुल 26.280 लीटर शराब बरामद हुआ। चूंकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन एवं भंडारण पूर्णतः प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त जब्त वाहन को राज्यसात् होना चाहिये।</p> <p>विद्वान् विभागीय अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाहन मोटरसाईकिल रजि0 नं0- BR30A-1084 पर कार्टून में बांध कर ले जाने के क्रम में 02 (दो) कार्टून में रॉयल जेनरल 180 एम0एल0 का 96 बोतल अंग्रेजी शराब तथा 01 (एक) कार्टून में इम्पेरियल ब्लू 375 एम0एल0 का 24 बोतल अंग्रेजी शराब कुल 26.280 लीटर अवैध शराब शराब बरामद हुआ। जिसे विधिवत् जब्त किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम -2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था। जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है।</p> <p>विपक्षी वाहन स्वामी को कारण-पृच्छा हेतु दिनांक 11.09.2020 को निबंधित डाक से नोटिस निर्गत किया गया। समुचित अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी वे इस वाद की कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुए और न ही कारण पृच्छा दाखिल किये और न ही भेजा गया नोटिस</p>	

वापस प्राप्त हुआ। जिससे स्पष्ट होता है कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-5049/2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा 56(घ) के तहत संबंधित वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था, जिसे राज्यसात् करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में जाले थाना कांड सं0-193/19 दिनांक 22.11.2019 में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम-2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन मोटरसाईकिल रजि0 नं0-**BR30A-1084** को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो 90 दिनों के अन्दर अपील प्रार्थना, आयुक्त उत्पाद, बिहार के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।


आदेश की प्रति अधीक्षक, मद्य निषेध, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।


आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।


समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा


समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा